ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-3* June- 2021
Anthology : The Research

भारत में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या एवं लैंगिक असमानता– एक चुनौती

Rising Female Feticide and Gender Inequality in India- A Challenge

Paper Submission: 03/06/2021, Date of Acceptance: 15/06/2021, Date of Publication: 25/06/2021

प्रीति
शोधार्थी,
राजनीति शास्त्र विभाग,
आर0जी0पी0जी0 कॉलेज,
मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

वीना राय
विभागाध्यक्ष,
राजनीति शास्त्र विभाग,
आर0जी0पी0जी0 कॉलेज,
मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

बेटी नहीं तो माँ नहीं, माँ नही तो जगत नहीं, यह कथन आज के समय में सटीक प्रतीत होता है, क्योंकि बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या के कारण महिलाओं का ही नही बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। वास्तव में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या आधुनिक बुद्धिजीवी समाज के लिए कलंक है। यह बुद्धिजीवी वर्ग कन्या भ्रूण हत्या के माध्यम से अपने अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। आज के वर्तमान समय में विज्ञान के आविष्कार ने मानव के जीवन को विकास के साथ–2 एक नया मार्ग देने और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किये है परन्तु विज्ञान के आविष्कार से विकास के मार्ग खुलने के साथ–2 मनुष्यों ने अपने स्वयं के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। क्योंकि नयी–2 वैज्ञानिक विधियाँ जैसे अल्ट्रासाउण्ड मशीनों PNDT, MTP एवं सानोग्राफी जैसे तरीकों से कन्या भ्रूण को पहचान कर कन्या हन्ता बनकर मानव जाति के विनाश का कारण बन रही है–कन्या भ्रूण हत्या पर आज के समय में बहुत विचार–विमर्श करने के आवश्यकता है।

If there is no daughter, no mother, no mother, no world, this statement seems to be correct in today's time, because due to increasing female feticide, not only the existence of women but the existence of the entire human race seems to be in danger. In fact the increasing female feticide is a blot on the modern intellectual society. This intelligentsia is putting its existence in danger through female feticide. In today's present time, the invention of science has provided opportunities to give a new path to human life along with development and progress, but this has also put his life in danger. Because new scientific methods such as ultrasound machines, ultrasound and sanography by identifying female embryos and becoming the cause of destruction of the human race by becoming female killers - There is a need to discuss a lot in today's time on female feticide.

मुख्य शब्द : PNDT MTP sonography

प्रस्तावना

भारत में कन्या भ्रूण हत्या भारतीय समाज की कोई नयी समस्या नही है, यह भारतीय समाज में प्राचीन समय से विद्यमान है। जिस पर हम आज तक कारगर अंकुश नहीं लगा पाये हैं, रूढ़िवादी भारतीय समाज में महिलाओं को पुरूषों से कमजोर आँका जाता है इसके लिए अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक कारण जिम्मेदार है। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' जैसे कथनों का महत्व वर्तमान समय में समाप्त होता जा रहा है। वास्तव में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या आधुनिक बौद्धिक दृष्टि से परिपक्व समाज के लिए कलंक है, कन्या भ्रूण हत्या वर्तमान समाज की एक ज्वलंत समस्या है–कन्या भ्रूण हत्या से तात्पर्य लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को प्राथमिकता देने और लड़कों को निम्न मूल्य कारण जान बूझकर की गयी कन्या शिशु की हत्या से है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या एक गम्भीर संकट पैदा कर सकती है। क्योंकि यदि समाज में महिलाओं की संख्या कम होती है तो सामाजिक मूल्यों का भी पतन होता है और भारत में अनुपात के आधार पर 2000 अजन्मी कन्याओं का गर्भपात प्रतिदिन कराया जाता है। भारत में जनसंख्या में प्रति 100 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 93 है,

जबकि विश्व के अधिकांश देशों में 100 पुरूषों पर लगभग महिलाओं की संख्या 105 है।

यूनीसेफ की रिपोर्ट के आधार

भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख कन्याऐं सुनियोजित लिंग–भेद के कारण समाप्त हो जाती हैं।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध शीर्षक ''भारत में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या : एक चुनौती'' प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों के अध्ययन के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या की समस्या पर प्रकाश डाला गया है।

समस्या

1. समाज की संकीर्ण मानसिकता
2. महिलाओं की सुरक्षा की समस्या
3. समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य समाज का ध्यान कन्या भ्रूण हत्या की ओर आकर्षित करना है ताकि महिलाओं की परिस्थितियाँ उनके शोषण के लिए जिम्मेदार है और साथ ही उनको रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जा सके।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण एवं प्रभाव

कन्या भ्रूण हत्या जैसी गम्भीर समस्या के लिए अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक कारण जिम्मेदार हैं, गरीबी, दहेज प्रथा समाज में बालिकाओं के साथ किया जाने वाला दोहरा व्यवहार कन्या पराया धन जैसी तुच्छ व संकीर्ण मानसिकता जैसे तत्व कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। जितनी तेजी से कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में वृद्धि हो रही है वह देश समाज व परिवार के लिए एवं विकास के लिए खतरे की घण्टी है। चौंकाने वाली बात यह है कि लड़कियों की संख्या में यह गिरावट आजादी के बाद से बढ़ रही है यदि वास्तविक रूप में देंखे तो तुरन्त कोई असर नहीं होता है परन्तु इसके दूरगामी परिणाम घातक होंगे–यदि इस स्थिति को नियन्त्रित नही किया गया तो दहेज प्रथा जैसी कुरीति के कारण भी न जाने कितनी बेटियाँ माँ की कोख में मार दी जाती है, पुत्र की चाहत रखने वाली महिलाऐं अवैध गर्भपात करवाकर अपने जीवन को भी खतरे में डालती हैं। बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या के लिए मुख्य रूप से शिक्षा व जागरूकता की कमी भी जिम्मेदार है। दुःख का विषय है कि व्यक्ति अपने वंश की वृद्धि करने के नाम पर एक पुत्र की प्राप्ति के लिए न जाने कितनी कन्याओं को बलि चढ़ा देता है क्योंकि समाज की संकीर्ण मानसिकता है कि लड़का ही परिवार के वंश को आगे बढ़ाता है। श्राद्ध एवं तर्पण जैसी विधियां केवल लड़कों के द्वारा ही की जा सकती हैं। समाज लड़कियों को समाप्त करके वास्तव में अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा है और अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाल समय में शादी करने के लिए लड़कियाँ नहीं मिलेगी। मानकों के अनुसार 1000 लड़कों पर कम से कम 940–950 लड़कियों का होना आवश्यक है लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 लड़कों पर 914 लड़कियाँ हैं, अगर लिंगानुपात इसी प्रकार गिरता रहा तो समाज में चारित्रिक मूल्यों का ह्रास होगा, जिससे समाज में अराजकता, हिंसा, बहुयति विवाह, बलात्कार जैसी भावनाऐं प्रबल होगी जिस कारण समाज अवनीति के गर्त में डूब जायेगा । आज देश में बढ़ती बलात्कार की घटनाऐं भी आने वाले संकट की भविष्यवाणी कर रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 2.90 लाख कन्याऐं जन्म लेने से पहले ही मौत के गर्त में धकेल दी जाती हैं। नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 14 वर्षों में एक करोड़ लड़कियों की हत्या जन्म से पहले ही गैर कानूनी ढंग से कर दी गयी, यह बहुत दर्दनाक एवं भयानक घटना है जो मानव अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है।

भारत में लिंगानुपात की स्थिति

भारत में कन्या भ्रूण हत्या बहुत विकराल बन गयी है। वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से पुष्टि हो रही है कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीति ने भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा ली हैं।

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उपाय

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में सन् 1974 में मैडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रग्नेंसी एकट पारित किया गया परन्तु फिर भी कानूनी रूप से कन्या भ्रूण जाँच को अवैध घोषित करने के बावजूद भी खुले। भ्रूणें के परीक्षण का सिलसिला जारी है। कन्या भ्रूण हत्या डाक्टरों नर्स व परिजनों के संयुक्त प्रयासों द्वारा लगातार की जा रही है।

2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि आजादी के बाद 6 साल तक की उम्र के बच्चों में लिंगानुपात सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रसव से पूर्व निर्धारण के मामलों से निपटने के लिए (PNDT) Pre Natal diagnostic Technique) की सार्थकता पर भी प्रश्न उठने लगे हैं इसीलिए सरकार को इस कानून को प्रभावी तरीके लागू करके गैर पंजीकृत मशीनों को सील करने और उन्हें जब्त करने तथा गैर पंजीकृत क्लीनिकों को भी दण्डित करने पर विशेष बल देना चाहिए। (PNDT) कानून के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए नियमित बैठकों के साथ–2 संचार तकनीक के माध्यम जिनके द्वारा लिंग चयन विज्ञापन दिये जाते हैं उन पर रोक होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के आंकड़ों को जारी करते हुए तत्कालीन केन्द्रीय गृह सचिव जी0 के0 पिल्लै ने कहा था कि लिंगानुपात के आंकड़े बताते हैं कि 40 सालों की अपनायी जा रही नीतियों को कोई खास असर नही हो पा रहा है इसीलिए केन्द्र सरकार को इन नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए।

सुझाव

इस प्रकार बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए सोनाग्राफी केन्द्रों पर कड़ी निगरानी हो और इससे सम्बन्धित सभी कानूनों का सख्ती से पालन हो।

Central for Research द्वारा सुझाव दिया गया कि कन्या भ्रूण हत्या के दोषी पाये जाने वालों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो फिलहाल इस कानून के उल्लंघन में दण्डात्मक कार्यवाही कम है। कई मामलों में तो दोषियों से कुछ रूपये लेकर ही छोड़ दिया जाता है।

कन्या भ्रूण संरक्षण के लिए समाज में पुत्र–पुत्री के भेदभाव को समाप्त करें, लड़की बोझ है जैसी तुच्छ मानसिकता को बदलने के लिए लड़कियों को स्वावलम्बी बनाना उनके संरक्षण के लिए सामाजिक, चिकित्सीय कानूनी व अन्य पहलुओं पर विचार–विमर्श करने के लिए सेमिनार कार्यशालाओं का आयोजन समय–2 पर किया जाना आवश्यक है। सरकार के द्वारा एवं NGO के माध्यम से चलायी जाने वाली योजनाऐं जैसे–कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धन लक्ष्मी योजना, शुभलक्ष्मी योजना, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं के साथ–2 महिलाओं के लिए रोजगारपरक नीतियों पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के विकास का वास्तविक रूप तभी सम्भव है जब महिलाओं के अस्तित्व को सुरक्षा व संरक्षण का कवच जन्म से पहले एवं बाद भी प्राप्त हो।

भारत में लैंगिक असमानता

यदि हम विचार करते हैं तो पहले की तरह आज भी समाज में लिंग भेद की स्थिति आज भी बनी हुई है–जेंडर शब्द का प्रयोग स्त्री एवं पुरूष की सामाजिक भिन्नता को प्रदर्शित करते हुए सामाजिक भूमिका प्रदान करता है–भारत में लिंगानुपात में अधिक असमानता पायी जाती है क्योंकि यदि हम विश्व के अन्य देशों के लिंगानुपात पर ध्यान देते हैं तो तथ्य सामने आते हैं कि रूस में 1000 पुरूषों पर 1140 स्त्रियाँ, फ्रांस में 1000 पुरूषों पर 1141 स्त्रियाँ, अमेरिका में 1000 पुरूषों पर 1129 स्त्रियाँ, ब्राजील में 1025, नाइजीरिया में 1016 और भारत में 940 लिंगानुपात है। भारत में लिंगानुपात की दयनीय स्थिति है भारत में लिंगानुपात को देखा जाये तो सदैव 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या कम हो रही है। वर्ष 1901 से 2011 तक उसमें उतार–चढ़ाव आते रहे हैं।

तलिका

वर्ष	लिंगानुपात
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	923
2001	933
2011	914

आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 1.25 लाख महिलाऐं गर्भ धारण के बाद मौत का शिकार हो जाती हैं। प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ बीस लाख लड़कियाँ जन्म लेती है। लेकिन 30 प्रतिशत लड़कियाँ 15 वर्ष की अवस्था तक मृत्यु का शिकार हो जाती हैं भारतीय समाज को पितृसत्तात्मक समाज माना जाता है और पितृसत्तात्मक समाज इस बात का समर्थन करते हैं कि स्त्री एवं पुरूष जन्म से ही भिन्न हैं और जन्म से ही अलग–2 कार्य एवं भूमिका प्रदान की जाती है।

सामाजिक लिंग विभेद के प्रकार

लिंग आधारित विभेद

किसी व्यक्ति के प्रति लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह–व्यवहार करना, इसके अन्तर्गत व्यक्ति का अन्य किसी संगठन से सम्बद्ध होने पर लिंग आधारित आदि के आधार पर लिंग विभेद को माना जाता है।

लिंग–भेद के आधार पर उत्पीड़न

लैंगिक उत्पीड़न मौखिक एवं शारीरिक दोनों ही प्रकार से किया जाता है। कार्य स्थल और घरों में महिलाऐं इससे पीड़ित होती हैं। राष्ट्रीय हिंसा अध्ययन के आधार पर 70 प्रतिशत महिलाऐं लैंगिक उत्पीड़न का अनुभव करती हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति ने स्त्री को भोग्या के रूप में प्रदर्शित किया है सम्पूर्ण विश्व में बलात्कार जैसी धटनाएँ लैंगिक उत्पीड़न की समस्या बनी हुई है।

कार्य के आधार लिंग विभेद

कार्य क्षेत्र के प्रत्येक स्तर जैसे–नियुक्ति, वेतन कार्य–भार पदोन्नति एवं प्रशिक्षण आदि मामलों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कार्य स्थल पर इन सभी मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है–नेतृत्व एवं प्रबंधन भूमिका में पुरूष स्वयं को महिलाओं की अपेक्षा सक्षम मानते हैं।

सामाजिक विभेद को दूर करने के उपाय

यदि हम ध्यान देते तो महिलाओं के प्रति लिंग विभेद सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर उत्पन्न होता है क्योंकि जन्म के समय से ही लड़कें और लड़कियों के पालन–पोषण में अन्तर किया जाता है–लड़कियों को बचपन से ही खिलौने के रूप में गृहस्थी जैसी वस्तुऐं जैसे–रसोई के बर्तन, सिलाई की वस्तुऐं, गुड़िया आदि और लड़कों के ठोस एवं मजबूत वस्तुएँ जैसे–गेंद–बल्ला, गाडियाँ आदि खिलौने के रूप में दिये जाते हैं जिस कारण दोनों के व्यक्तित्व का विकास अलग–2 होता है, महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी धारणा के कारण विकास बाधित होता है।

वर्तमान समय में महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है–सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक जगह पुरूषों के द्वारा शोषित की जाती है। जिस कारण दोनों में मध्य असमानता उत्पन्न हुई इस असमानता के कारण–उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में पीछे कुछ वर्षो से महिलाओं की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिलती है।

क्रम संख्या	वर्ष	%
1	1951	908
2	1961	907
3	1971	876
4	1981	882
5	1991	876
6	2001	898
7	2011	908

उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षों में महिलाओं की स्थिति इससे स्पष्ट होती है कि हम जिसे सभ्य समाज कहते हैं उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई विकृति है तभी तो शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन आदि के अच्छे साधन होने के बावजूद महिलाओं की संख्या में कमी आ रही है जिसके कारण लैंगिक अनुपात बेमेल हो रहा है।

निष्कर्ष

इस लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए समाज को लड़के और लड़कियों के भेदभाव को समाप्त करने के साथ, बेटी को जीने का अधिकार देना होगा उसे मान सम्मान प्रदान करना होगा और सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान देकर महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है तभी समाज विकास की ओर अग्रसर हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *रिचा भुनेश्वरी, महिला विकास कार्यक्रम एवं योजनाएँ प्रकाशक रितु पब्लिकेशन्स, संस्करण–2011, पृष्ठ संख्या–98*
2. *गुप्ता राधेश्याम, महिला और कानून, इरिका पब्लिशिंग संस्करण–2010, पृष्ठ संख्या–125*
3. *मिश्रा एस0 के0, महिलाओं के मौलिक अधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, संस्करण–2010, पृष्ठ संख्या–135*
4. *मोदी अनीता, महिला सशाक्तिकरण : विविध आयाम बाईकिंग बुक्स, संस्करण–2011 पृष्ठ संख्या–138*
5. *नईम मुहम्मद, महिला सशक्तिकरण चुनौतियाँ एवं समाधान, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, संस्करण–2014, पृष्ठ संख्या–7, 11*
6. *रावत ज्ञानेन्द्र, औरत अस्मिता और यथार्थ, कान्ती बुक संस्करण–2002, पृष्ठ संख्या–76*
7. *संह राजबाला, मानवाधिकारों एवं महिलाऐं, संस्करण–01, 2006, पृष्ठ संख्या–24*
8. *सारस्वत स्वप्निल, समाज राजनीति और महिलाऐं : दशा और दिशा, राधा पब्लिकेशन्स, संस्करण–2004, पृष्ठ संख्या–112*
9. *स्याल शान्ति कुमार, नारी अधिकार, आत्मराम एण्ड सन्स, दिल्ली वर्ष–2000, पृष्ठ संख्या–213*
10. *कुरूक्षेत्र पत्रिका, पृष्ठ संख्या–65*